(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 888–तीन/2003 विरूद्ध आदेश, दिनाक 28–2–2003 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 140/99–2000/अपील.

1 शंकर पुत्र कल्याण
2 रामा पुत्र कल्याण
3 प्रभू अवयस्क पुत्र कल्याण संरक्षक मां कस्तूरी
4 कस्तूरी विधवा पत्नी कल्याण
5 कन्हैया पुत्र भंवरलाल उर्फ भूरा
6 रोशन पुत्र भंवरलाल उर्फ भूरा
7 ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल उर्फ भूरा
8 दीपचन्द्र पुत्र भंवरलाल उर्फ भूरा
9 मुकेश पुत्र भंवरलाल उर्फ भूरा
10 पप्पू पुत्र भंवरलाल उर्फ भूरा
11 शांति विधवा पत्नी भंवरलाल उर्फ भूरा
12 जानकीबाई पुत्री भंवरलाल उर्फ भूरा
13 बादामी पुत्री भंवरलाल उर्फ भूरा
14 विमला पुत्री भंवरलाल उर्फ भूरा
अवयस्क संरक्षक मां शांति पत्नी भंवरलाल
समस्त भोई निवासीगण ग्राम जलालपुरा
तहसील एवं जिला श्योपुर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1 भगवती बाई पत्नी शिवजीत सिंह कुशवाह
2 जगदीश पुत्र बद्री भोई
निवासीगण ग्राम जलालपुरा तहसील एवं
जिला श्योपुर ..... अनावेदकगण

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1-8-2016 को पारित)

यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक

140/99–2000/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 28–2–2003 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जलालपुरा तहसील श्योपुर में स्थित प्रश्नाधीन भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी जगदीश थे । जगदीश द्वारा अपनी भूमि प्रतिनिगरानीकर्ता कमांक 1 भगवती को विकय की गई । विकय पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर भगवतीबाई के नाम दिनांक 31–3–07 द्वारा नामांतरण स्वीकार किया गया । निगरानीकर्तागण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 65/95–96/अपील माल पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 9–5–2000 से अपील स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–97 निरस्त कर दिया गया । गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 द्वारा अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 140/99–2000/ अपील पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 28–2–2003 से स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–5–2000 निरस्त किया गया । अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2003 से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में निगरानी में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने गये । उनके द्वारा उनहीं तर्कों को दोहराया गया है जो निगरानी मेमो में उद्धरित किये गये हैं ।

4/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनावेदक कमांक 1 ने अनावेदक कमांक 2 द्वारा किये गये विकय के आधार पर नामांयतरण का आवेदन दिया है । आवेदक के अभिभाषक ने पुनरीक्षण आवेदन के पद 4 में लिए गए आधार पर तर्क देते हुए कहा है कि अनावेदक कमांक 2 को विकय करने का कोई अधिकार नहीं था । अनावेदक कमांक 2 के पिता बद्री ने अवैध रूप से अपना नामांतरण कराया था । बद्री के नामांतरण के विरूद्ध

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की गई अपील में आदेश दिनांक 29–4–2000 द्वारा बद्री के पक्ष मे किएगए नामांतरण को निरस्त कर दिया था । प्रकरण के चलते अनावेदक कमांक 2 ने बद्री के स्थान पर अपना नामांतरण कराया एवं अनावेदक को भूमि विकय करदी । अनावेदक कमांक 2 के पिता का अधिकार एवं नामांतरण निरस्त हो जाने के कारण अनावेदक कमांक 2 को जब कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं हुए थे तब अनावेदक कमांक 2 द्वारा किए गए विकयपत्र से अनावेदक कामंक को स्वत्व एवं नामांतरण कराने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । व्यक्ति वही अधिकार विकय कर सकता है जो उसे प्राप्त हो । इस प्रकरण में स्वत्व का कोई प्रश्न नहीं है । संहिता की धारा 109 एवं 110 के अंतर्गत नामांतरण की कार्यवाही में केवल यह देखना है कि क्या नामांतरण हेतु स्वत्व प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह न्यायसंगत है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है । अतः उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर